

न्यायालय राजरव मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वाल्हियर

समक्ष: एम0के0 सिंह  
रादस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 479-मफ/19 विरुद्ध आदेश दिनांक 13/01/2019  
द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, वाणिज्य विभाग नं. 5/2/रा.स. 2018/12

- 1-- श्रीमतल बसीरन पत्नी स्व. गुलाम मोहम्मद
- 2अ-- श्रीमती नूरन पत्नी स्व. शहजाद
- 2ब-- अमरम तनय स्व. शहजाद
- 3-- महेश पिता स्व. गुलाम मोहम्मद
- 4-- बबलू उर्फ नबाव पिता गुलाम मोहम्मद
- 5-- श्रीमती सितारा बेगम पत्नी स्व. सलाम मोह  
सभी निवासीगण कम्पनी बाग, सतना  
जिला सतना म.प्र.

**विरुद्ध**

- 1-- अब्दुल करीम तनय शेख मंसूरी (मृतक) वारिसान

- अ-- श्रीमती सायरा कानन स्व. अब्दुल करीम
- ब-- मो. हारून पुत्र स्व. अब्दुल करीम
- स-- मो. मारुख पुत्र स्व. अब्दुल करीम
- द-- श्रीमती बेवी पुत्री स्व. अब्दुल करीम
- सभी निवासीगण कम्पनी बाग, सतना  
जिला सतना म.प्र.

- 2-- अब्दुल रहमान (मृत)

- अ. श्रीमती राविया पत्नी स्व. रहमान
- ब. मो. इरफान पिता स्व. मो. रहमान
- स. मो. इमरान पिता स्व. मो. रहमान
- द. मो. रिजवान पिता स्व. मो. रहमान
- ई. मो. रेहान पिता स्व. मो. रहमान

- 3-- अब्दुल रज्जाक पिता ना. मुसुक (मृत) वारिसान

- अ-- फज्जू पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक
- ब-- रियाज पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक
- स-- इस्ताक पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक
- द-- गुड़डू पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक
- इ-- रुबी पुत्री स्व. अब्दुल रज्जाक
- फ-- मदोला पुत्री स्व. अब्दुल रज्जाक
- य-- नीलू पुत्री स्व. अब्दुल रज्जाक



र- सालू पुत्री स्व. अब्दुल सत्तार  
सभी निवासीगण कंपनी बाग सतना  
जिला सतना म.प्र.

4- मो. मुस्ताक (मृत)

अ. मो. मुस्ताक (मृत)

ब. मो. जावेद पिता स्व. मो. मुस्ताक

स. मो. तवरेज पिता स्व. मो. मुस्ताक

द. मो. जुबेद पिता स्व. मो. मुस्ताक

ई. मो. सुएव पिता स्व. मो. मुस्ताक

सभी निवासीगण कंपनी बाग सतना  
जिला सतना म.प्र.

--- --- प्राफार्म ए यथ्रीगण (आर्पाचिक नं  
---

श्री मुकेश चार्गट अधिवक्ता (आपेल-श्री)

श्री पी.के. तिवारी अधिवक्ता प्रत्यर्शगण

आदेश

( आज दिनांक 16-11-2011 को पारित )

यह निगरानी अपर आयुक्त गवा सभा, सतना के प्रकरण क्रमांक 519/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 23-1-13 को 'सूझ म.प्र. कृ. उ. संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 44-2 के तहत पेश की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जावेद अकबर द्वारा विचारण न्यायालय में नजूल विभाग सतना नगर जी नजूल शीट क्रमांक 42 बी एच ड क्रमांक 180/2 में रकबा 581 वर्गफुट के वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया के तहत नजूल विभाग से गुलाम मो. तनयम अहमद खान सा. कंपनी बाग सतना के नाम मंजूर किया गया। गुलाम मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 15.4.91 में हो चुकी है तथा वह लोग मुस्ताक के पति हैं अतः उनके नामांतरण को कार्यवाही के अंतर्गत हुणे बोरा विचारण न्यायालय में अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 द्वारा मा प्रकरण में आर्पाचिक पेश की गई तथ्य आदेश का विवादित स्थल के संबंध में कोई स्वत्व व आधिपत्य का विना कहते हुए एक धारणाधिकारी होना कहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में नजूल में आदेश पारित किया गया। इससे पूर्व ही अनावेदक के पति गुलाम अब्दुल करीम

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील गण की गई जिसमें अपर आयुक्त ने आलोक्य आदेश पारित करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया गया का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित नोट प्रस्तुत किया गया है।

5/ अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता का निगरानी ममा के अंतर्गत गए तर्कों एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत तर्कों का विचारण किया। यह प्रकरण नजूल भूमि के नामांतरण के संबंध में है। प्रकरण में अपर आयुक्त ने अभिलेख के अवलोकन उपरांत यह पता चला है कि नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण में सभी पक्षों को सुने बिना तथा संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किए बिना आदेश पारित किया गया है। उन्होंने यह भी पता चला कि आदेश कबालत द्वारा नियुक्त नजूल अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है बल्कि उनकी अनुपस्थिति में लिंक अधिकारी द्वारा आदेश दिया है इस कारण उक्त आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किया कि जा सकता माना जा सकता। उक्त आधार पर अपर आयुक्त ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील का स्वीकार करते हुए नजूल अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है। प्रकरण का निराकरण के उपरांत अपर आयुक्त ने उक्त आधार दिए हैं यह अभिलेख को प्राथमिकता देकर रखे जाने योग्य हैं। अपर आयुक्त के आदेश में कोई अधिकांश रणविक्रम इतिहास नहीं है जिस कारण उनके आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है।

( एम० के० सिंह )

सदस्य

राजशिव मंडल, मध्यप्रदेश  
ज्वालियर